न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी नरेश कुमार ठकराल, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 38/2017 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002.

एयु स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्व नाम ''ए.यू. फाईनेन्सर्स(इण्डिया) लि.'')
पताः– 19–ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर–302001 राजस्थान।

प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

1. दीपेन्द्र कुमार योगी पुत्र स्व. बनवारी योगी (ऋणी व बन्धनकर्ता)
   पताः– ग्राम– अखैपुरा, तहसील– दांतारामगढ़, जिला– सीकर, राजस्थान–332402
2. कमलेश कुमार पुत्र स्व. बनवारी लाल (सहऋणी व ब्रधनकर्ता)
   पताः– वी. पी. ओ.– शिश्यु, तहसील– दांतारामगढ़, जिला –सीकर, राजस्थान–332402
3. सोहनी देवी पत्नी स्व. बनवारी (सहऋणी)
   पताः–01, बावरियों की ढ़ाणी, ग्राम– अखैपुरा, तहसील– दांतारामगढ़, जिला– सीकर, राजस्थान
4. दिनेश कुमार दईया पुत्र दयानन्द दईया (जमानती)
   पताः–266, ग्राम– खासोली, तहसील व जिला– धौलपुर, राजस्थान– 331001
5. सायर सिंह पुत्र नान् सिंह (जमानती)
   पताः– 44/1, मुख्य ग्राम– सामोता का बास, तहसील– श्रीमाधोपुर, जिला सीकर, राजस्थान।

अप्रार्थीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

निर्णय दिनांकः 26 दिसम्बर, 2017

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री **महेश शर्मा** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण **दीपेन्द्र कुमार योगी, कमलेश कुमार, सोहनी देवी, दिनेश कुमार दईया, सायर सिंह** को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में **दीपेन्द्र कुमार योगी पुत्र स्व. बनवारी योगी व कमलेश कुमार पुत्र स्व. बनवारी लाल की सम्पत्ति जो खसरा नम्बर 104/5, ग्राम– अखैपुरा, पटवारी हल्का– शिश्यु, तहसील– दांतारामगढ़, जिला सीकर राजस्थान में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसकी माप लगभग 300 वर्गमीटर है**, को बंधक रखकर **10,00,000**/–रूपये (अक्षरे रूपये **दस लाख** मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई

थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **24.04.2017** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

1. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।

2. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

3. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **24.04.2017** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया, जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

4. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण **दीपेन्द्र कुमार योगी, कमलेश कुमार, सोहनी देवी, दिनेश कुमार दईया, सायर सिंह** की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक **दीपेन्द्र कुमार योगी पुत्र स्व. बनवारी योगी व कमलेश कुमार पुत्र स्व. बनवारी लाल की सम्पत्ति जो खसरा नम्बर 104/5, ग्राम– अखैपुरा, पटवारी हल्का– शिव, तहसील– दांतारामगढ़, जिला सीकर राजस्थान में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढाचा आदि जो सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसकी माप लगभग 300 वर्गमीटर है**, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को इस शर्त पर की प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो, जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

5. आदेश आज दिनांकः 26 दिसम्बर, 2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official